न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 92/2016 श्रीमती काली बनाम रमेश

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ दिनांक 23–06–2016 प्रकरण स्रंख्या 104/2009 वाद ————————	
25–01–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों के रेकर्ड का अवलोकन कर अपील मेमों व बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3–5–2016 के लिए नियत पेशी से पृथक जाकर दिंनाक 23–6–2016 को अपीलान्ट वादी को सूचित किये बिना व सुने बिना प्रकरण में निम्नानुसार 4 पंक्तियों में स्वेच्छाचारी निर्णय पारित किया है :– **न्याय आपके द्वारा 2016 कैम्प बड़वास छोटी** ***23.6.2016 ''पत्रावली आज मजमे में पेश हुई। सहखातेदार दर्ज करने का आदेश खातेदार की सहमति होने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया गया था। नामान्तरण एवं आदेश 30 वर्ष पुराना होने से प्रकरण बेरून म्याद होने खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो''।*** अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय स्पष्टतया न सिर्फ प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है, अपितु स्थापित विधिक प्रक्रिया से भी पृथक जाकर पक्षकारान के लिए मय श्रम व धन की बर्बादी है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टयाही त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्द्रेशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में स्थापित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान आधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**	